पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं का योगदान

डॉ0 धर्मेन्द कुमार सोनकर
असि0 प्रो0 समाजशास्त्र विभाग
ज0ला0ने0स्मा0 पी0जी0 कालेज महराजगंज

पर्यावरण प्रदूषण ने न केवल मानव अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है वरन् इसके कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि, पीने योग्य जल की कमी, प्राकृतिक वनस्पति एवं जीव जन्तुओं की विभिन्न प्रजातिया समाप्ति की ओर है। ऐसी निराशाजनक स्थिति में पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण प्रदूषण को नियन्त्रित करने में महिलाओं की सहभागिता एवं महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करना आवश्यक है। ताकि इस ज्वलन्त समस्या के समाधान में महिलाओं की भागीदारी को और अधिक बढाया जा सके।

आदिकाल से महिलाओं का प्रकृति से तादात्म्य व जुड़ाव रहा है तथा वे प्रकृति के स्वरुप को यथावत रखने व उसके संरक्षण के प्रति सजग एवं सचेष्ट रही है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद् वंदना शिवा ने भी इस तथ्य की ओर संकेत करते हुए कहा है कि 'प्रकृति व महिला में समानता है, क्योकि दोनो ही पोषण करती है।' देश की महिलायें वृक्षों, नदियों, जल व कुओं की पूजा विविध रुपों में करती है जोकि उनके प्रकृति प्रेम एवं संस्कृति के प्रति आस्था व समर्पण का परिचायक है। वृक्षों में विशेष रुप से पीपल, वटवृक्ष, खेजडी, केला, आवला व तुलसी की पूजा व सिंचन करते हुए महिलायें पर्यावण संरक्षण में अतुलनीय योगदान दे रही है।

देश में हुए कई पर्यावरण संरक्षण आदोंलनो खासकर वनों के संरक्षण में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन आदोंलनों में सबसे प्रमुख आन्दोंलन, चिपको आन्दोलन था, जिसकी शुरुआत राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजरली गांव से हुई थी। राजस्थान के पश्चिमी जिले में खेजडी का पेड़ बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। खेजडी का वृक्ष पश्चिमी राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आधारशिला है। खेजडी की वैष्णवी लोग पूजा करते है तथा हरे वृक्षों का काटना धार्मिक दृष्टि से अपराध मानते है। तत्कालीन जोधपुर के राजा अभय सिंह को अपने महल के निर्माण हेतु चूना बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने जोधपुर के लकडहारों को खेजरली गांव में खेजडी के वृक्षों को काटकर लाने के लिए भेजा। जब लकडहारे खेजरली गांव पहुचकर खेजडी के वृक्षों को काटने लगे तो उस गांव की विश्नोई जाति की एक महिला अमृता देवी ने उनका विरोध किया तथा कहा की वे खेजडी के वृक्ष को काटने नही देगें और यह कहकर अमृता देवी खेजडी के वृक्ष से चिपक गयी। अमृता देवी के वृक्ष से चिपकने की बात जब जोधपुर के राजा के पास पहुची तो उन्होने ये आदेश दिया कि पेड़ से चिपकी महिला को काट दिया जाय तथा वृक्ष काटकर लकडी लायी जाय। लकडहारों ने राजा का यह आदेश अमृता देवी को सुनाया लेकिन अमृता देवी फिर भी पेड़ से हटने को तैयार नही हुई तो लकडहारों ने उसे काट दिया। अपनी मां के मौत के बाद अमृता देवी की पुत्री दुसरे पेड़ से चिपक गयी लकडहारों ने उसे भी काट दिया। इस प्रकार एक के बाद अमृता देवी की तीन लडकियों ने पेड़ से चिपक कर अपने प्राणों की आहुति दे दी लेकिन खेजडी का वृक्ष नही कटने दिया। इसके बाद लडकियों के पति खेजडी के वृक्षों से चिपक गये लेकिन उन्हें भी लकडहारों ने काट दिया इसके बाद एक के बाद एक तीन सौ तिरसड लोगों को लकडहारों ने काट दिया लेकिन उन्होंने ने खेजडी का पेड नही कटने दिया। इस स्थिति की जानकारी जब राजा को हुई तो उन्होंने पेड काटने का आदेश पर रोक लगा दिया और सम्पूर्ण विश्नोई जाति से अपने इस कृत्य के लिए क्षमा मांगी। इस प्रकार अमृता देवी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने प्राणों की आहूति दी तथा चिपको आन्दोंलन की नींव रखी। 1970 में चमोली क्षेत्र में आयी बाढ़ ने भी चमोली निवासियों का ध्यान वनों की हो रही कटाई की तरफ खिचा। इस भयानक बाढ़ के बाद एक निजी कम्पनी को खेल कूद की समान बनाने के लिए वन काटने का अधिकर दे दिया। वही वन विभाग ने स्थानीय निवासियों को हल बनाने के लिए लकडी काटने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। सरकार की इस विरोधाभासी नीति के कारण चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व ने 'दसौली ग्राम स्वराज संघ' की स्थापना हुई तथा उन्होंने सत्याग्रह नीति अपनाकर आन्दोंलन प्रारम्भ किया। इस आन्दोंलन में महिलाओं

का पूर्ण सहयोग रहा तथा आन्दोंलन की अग्रिम मोर्चा उन्होंने ने ही सम्भाला। महिलायें पेड़ से चिपक जाती थी जिसके कारण कम्पनी के लोग पेड़ों को नही काट पाते थे। धीरे–धीरे यह आन्दोंलन सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्र में फैल गया।

इसी आन्दोंलन ने आजादी के बाद हुए चिपको आन्दोंलन को प्रेरित किया और दिशा दिखाई। सरकार को 26 मार्च 1974 को चमोली जिले के नीति घाटी के जंगलों को काटने का कार्य शुरु करना था। इसका रैणी गांववासियों ने जोरदार विरोध किया जिससे डरकर ठेकेदारों ने रात में पेड़ काटने की योजना बनायी गौरा देवी गांव की महिलाओं को एकत्रित किया और कहा कि 'जंगल हमारा मायका है हम इसे उजड़ने नही देगें।' सभी महिलायें पेड़ों से चिपक गयी और कहा कुल्हाडी पहले हम पर चलानी पड़ेगी फिर इन पेड़ों पे पूरी रात निर्भय होकर पेड़ों से चिपकी रही। ठेकेदारों को पुनः खाली हाथ जाना पड़ा। यह आन्दोंलन पुरे उत्तराखण्ड में फैल गया। उत्तराखण्ड में महिलाओं ने 'रक्षासूत्र' आन्दोलन की शुरुआत की जिसमें उन्होने ने पेड़ों पर रक्षाधागा बाधते हुए उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया। इसी प्रकार टिहरी जिले के हेवल घाटी क्षेत्र के अदवाणी गांव की बचनी देवी भी ऐसी महिला है जिन्होंने चिपकों आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 30 मई 1977 को अदवाणी गांव में वन विभाग के ठेकेदार पेड़ों को काटने लगे तो बचनी देवी गांववासियों को साथ लेकर पेड़ बचाव आन्दोंलन में कूद पड़ी और पेड़ों से चिपक कर ठेकेदारों से हथियार छीन लिये और उन्हें वहा से भगा दिया। यह संघर्ष तकरीबन एक साल चला आन्दोंलन के कारण पेड़ों के कटान पर वन विभाग को रोक लगानी पडी।

अप्पिको आन्दोलन– चिपकों आन्दोलन ने भारत के अन्य भागों में भी अपना प्रभाव दिखाया। उत्तर का यह चिपकों आन्दोलन दक्षिण में अप्पिको आन्दोलन के रुप में उभरकर सामने आया। अप्पिको कन्नड भाषा का शब्द है जो कन्नड में चिपको का पर्याय है। यह आन्दोलन अगस्त 1983 में कर्नाटन के उत्तर क्षेत्र में शुरु हुआ तथा यह आन्दोलन पूरे जोश से लगातार 38 दिनों तक चलता रहा। सितम्बर 1983 में सलकानी तथा निकट के गांवों से युवा तथा महिलाओं ने पास के जंगलो तक 5 मिल की यात्रा तय करके वहां के पेड़ो को गले लगाया। उन्होने राज्य के वन विभाग के आदेश से कट रहे पेड़ो की कटाई रुकवायी। लोगो ने हरे पेड़ो को कटाने पर प्रतिबन्ध की मांग की। उन्होंने अपनी आवाज बुलन्दकर कहा की हम व्यापारिक प्रयोजनों के लिए पेड़ों को बिल्कुल भी नही कटने देगे और पेड़ो से चिपक कर हठधर्मिता अपना कर बोले की पेड़ काटने है तो पहले हमारे उपर कुल्हाडी चलाओ वे पेड़ो के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो गये जिसके कारण सरकार को पेड़ कटवाने के आदेश वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह आन्दोलन इतना लोकप्रिय हो गया की पेड़ काटने आये मजदूर भी पेड़ो की कटाई छोडकर चले गये। नवम्बर में यह आन्दोलन नीदगोड तक फैल गया जहा 300 लोगो ने इकट्ठा होकर पेड़ों को गिराये जाने की प्रक्रिया को रोकने में सफलता प्राप्त की।

प्रवीण सेठ के अनुसार अप्पिको आन्दोलन अपने तीन प्रमुखों उद्देश्यों में सफल रहा। प्रथम मौजूदा वन क्षेत्र का संरक्षण करने। द्वितीय खाली भूमि पर वृक्षारोपण करने तथा तीसरा प्राकृतिक संसाधनो के संरक्षण को ध्यान में रखकर उनका सदुपयोग करने। इन उद्देश्यों को हासिल करने में स्थानीय स्तर पर एक लोकप्रिय संगठन 'परिषर संरक्षण केन्द्र' ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अप्पिको आन्दोलन शान्तिपूर्ण तरीके गांधीवादी मार्ग पर चलते हुए एक ऐसे पोषणकारी समाज के लिए लोगो का पथ प्रर्दशन किया जिसमें न कोई मनुष्य का और न ही प्रकृति का शोषण कर सके। वंदना शिवा के शब्दों में यह मानव अस्तित्व के खतरे को रोकने में सभ्य समाज का सभ्य उत्तर था।

राजस्थान में उदयपुर के निकट ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाये पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर ऊसर एवं रेतीली भूमि को हरे–भरे खेतो में बदल रही है। 'सेवा मण्डल' की एक सस्था ने भील समुदाय को इतना अधिक प्रेरित किया की अब वह सैकड़ो वर्षो से वीरान पड़ी भूमि को हरा भरा बनाने में जूट गये है। यह संस्था उदयपुर के 6 विकास खण्डों की सुरक्षा में बड़े ही मनोयोग ढंग से जुड़ी हुई है। उनके दस उत्साह एवं सफलता को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए 1991 का के0पी0 गोयनका पुरस्कार इन महिलाओं द्वारा तैयार सेवा मण्डल नामक संस्था को मिला है।

हिमांचल प्रदेश की महिलायें भी पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम में किसी से पीछे नही है। यहां की महिलायें छोटे–छोटे गुट बनाकर आन्दोलन में सक्रिय भागीदारी निभा रही है। हिमांचल प्रदेश में ही

रामपुर परगने के गांव की महिलाओं ने देवदार में वृक्षों को काटने से बचाकर अच्छा खासा तहलका मचा दिया है। मनाली में वन विभाग द्वारा हर गांव में गठित की गयी ग्राम कमेटियां बनों के संरक्षण में अहम भूमिका निभा रही है। ग्राम कमेटियों की सतर्कता ने न केवल वनों के कटान में रोक लगाई है बल्कि बन माफिया पर भी शिंकजा कसा है। ग्राम पंचायत शनाग के महिला मण्डलों ने जहा वन काटने वाले पर शिंकजा कसा है वही बुरुआ पंचायत की महिलाओं ने ग्रामिणो के सहयोग से कंगणी जंगल में 5000 पौधे रोपकर ग्रामिणों को पर्यावरण का संदेश दिया।

तीन दशक तक मिश्राइन मोढा के जंगलों की रक्षा करने वालों में इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब महिलाओं को दे दी है। विभिन्न प्रजाति के लाखो पेडो की सुरक्षा महिलाये बखुवी कर रही है। ये सब वन विभाग के सहयोग एवं मदद के बिना हो रहा है। हालाकि प्रशासन और वन विभाग से सहयोग न मिलने से महिलाये निराश है लेकिन जंगल बचाने का जज्बा कम नही हुआ है। जंगल से ही गांव की पहचान है। वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष नीलम देवी, सचिव कमला देवी, कोषाध्यक्ष चंदा देवी है। वन सुरक्षा समिति का मानना है कि पर्यावरण के लिए जंगल को बचाना बेहद जरुरी है। इसी संकल्प के साथ सभी जंगल की रक्षा कर रही है।

नर्मदा बचाव आन्दोंलन को लेकर मेघा पाटकर भी काफी चर्चित रही है। इन्हें आन्दोलन के लिए जेल तक भी जाना पड़ा। पर्यावरण संरक्षण में इनकी सक्रिय भूमिका देखते हुए ही इन्हें 'अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीन रीबन पर्यावरण' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बंदना शिवा भी इसी तरह की जुझारु पर्यावरण संरक्षक कार्यकर्ता है। पर्यारण संरक्षण में इनके कार्यो को देखते हुए ही उन्हें वर्ष 1993 के 'राईट लिबलीहुड' अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2004 में नोबेल शान्ति पुरस्कार से सम्मानित बंगारी मथाई में 'ग्रीनबेल्ट आन्दोलन' का शुभारम्भ करते हुए पर्यावरण के क्षेत्र में महिलाओं को अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने हेतु अनवरत संधर्ष किया। बंगारी मथाई द्वारा प्रस्तुत चार आर की अवधारणा अर्थात रिड्यूस, रियूज, रिसायकल व रिपेयर को मूर्त रुप प्रदान करके सम्पूर्ण विश्व को पर्यावरण संरक्षण का कवच उपलब्ध कराना सम्भव है।

कई ऐसी महिलाये जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अपने काम से नाम कमाया है। वंदना शिवा दुनियाभर में जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता है और भौतिकविद है। नवदान्य के तहत वह जैवविविधता बचाने के लिए महिलाओं के ही साथ अभियान चलाती है। जीन सम्वर्धित वीजो और जीवों के वह खिलाफ है। हबीबा साराबी हफगानिस्तान के बभियान प्रान्त में गवर्नर है। उन्होने यहा पहला राष्ट्रीय उद्यान बनाया लेकिन इसे पर्यटको से ही नुकसान पहुचने लगा। उन्होंने समुदाय के नेताओं के साथ संरक्षण मुहिम शुरु की। बार्बरा उनमुसिग ने पर्यावरण के लिए फायदेमंद नीति बनाने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था, पास्थितिकी की ओर विकासनाम का गैर सरकारी संगठन बनाया है। मलेशिया के तट पर सेतियू महिला उद्यम पेवानिस के तहत संरक्षण कार्यक्रम हाऊस वाईफ अभियान चलाती है। टिकाऊ विकास में इस प्रोजेक्ट को नेशले और वर्ड वाईल्ड लाईफ फण्ड ने प्रायोजित किया है। शान्ति का नोवेल पुरस्कार जीतने वाली केन्यायी महिला बंगारी माथाई ने विज्ञान और सामाजिक अभियान के जरिये अफ्रिका की गरीब महिलाओं को तीन करोड़ पेड़ लगाने को प्रेरित किया। लातिन अमेरिकी नेता कारेन क्रिस्टिना फिगूएरेस ओलसेन संयुक्त राष्ट्र में जलवायु परिवर्तन समझौते के प्रोग्राम से जुड़ी है। वह कोस्टारिका की ओलसेन टिकाऊ विकास के लिए काम करती है।

भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1894 में बनी थी। स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बने। इन नीतियों में महिलाओं का कही जिक्र नही था। महिलाओं के द्वारा किये गये विभिन्न आन्दोदनों के कारण 1988 में जो राष्ट्रीय नीति बनी उसमे महिलाओं की सहभागिता को महत्व दिया गया और उनकी वनो पर निर्भरता, वनो के लेकर ज्ञान, वन प्रबन्धन में उनकी सक्रिय भागीदारी को समझा गया और यह सोच बनी की अगर वन प्रबन्धन में महिलाओं की भागीदारी होगी तो वन नीति के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसी सोच के तहत संयुक्त वन प्रबन्धन प्रोग्राम के अन्तर्गत हर गांव में वन समिति बनायी गयी और उस समिति में महिलाओं को सामिल किया गया। 1995 में राष्ट्रीय वन नीति बदलाव करते हुए समितियों में

महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण कर दिया गया। जिसके परिणामस्वरुप महिलाये इन समितियों में अधिक से अधिक भाग लेकर पर्यावरण संरक्षण में अपना सक्रिय योगदान दे सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची–

1. भारत में सामाजिक आन्दोलन–गुप्ता एवं शर्मा
2. प्रकृति पर्यावरण और हम–ऋचा मनु
3. पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका–डॉ0 गणेश कुमार पाठक
4. आन्दोलन का समाजशास्त्र–रविन्द्रनाथ मुखर्जी
5. पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं का योगदान–डॉ0 अनीता मोदी
6. 8 मार्च अमर उजाला
7. पर्यावरण और महिलाये – उपासना बेहार